छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2026 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / /2026

//स्थायी आदेश//

आदेशानुसार, विधानसभा सत्रावधि के दौरान सचिवालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि वे अपने कार्यालयीन दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन सुनिश्चित करें तथा सत्रावधि में कार्यालय से प्रस्थान करने के पूर्व उच्चाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करें। इस संबंध में पूर्व में भी कार्यालयीन आदेश जारी किए जाते रहे हैं, तथापि यह निरंतर परिलक्षित हो रहा है कि कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

विदित ही है कि सत्रावधि के दौरान अतिरिक्त कार्यभार वहन करने एवं निर्धारित कार्यालयीन समय से अधिक कार्य निष्पादन के कारण ही सचिवालयीन अधिकारी/कर्मचारियों को गुरूतरदायित्व भत्ता प्रदान किया जाता है। अतः गुरूतरदायित्व भत्ते के पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 के नियम-08 में उल्लेखित प्रावधान के अतिरिक्त निम्नांकित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समस्त सचिवालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू की जाती है :-

1. सत्रावधि के प्रत्येक कार्य दिवस में निर्धारित कार्यालयीन समयावधि पश्चात् कार्यालय से प्रस्थान करने के पूर्व प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी संबंधित शाखा प्रभारी/प्रभारी अधिकारी/वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी से तथा समस्त वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी सचिव से प्रतिदिन अनिवार्यतः अनुमति प्राप्त करेंगे।
2. प्रत्येक शाखा प्रभारी/प्रभारी अधिकारी/वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति एवं कार्य निष्पादन की पुष्टि करते हुए प्रतिदिन का प्रमाणित प्रतिवेदन संलग्न निर्धारित प्रारूप में आगामी कार्य दिवस में स्थापना शाखा को अनिवार्यत: प्रेषित करेंगे।
3. स्थापना शाखा को प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर ही गुरूतरदायित्व भत्ते की पात्रता की गणना की जाएगी।
4. निर्देशों की अवहेलना कर बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय से प्रस्थान करने वाले अधिकारी/कर्मचारी गुरूतरदायित्व भत्ते हेतु पात्र नहीं होंगे तथा गुरूतरदायित्व भत्ते की गणना हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।

यह निर्देश माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनसे संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

आदेश से,

हस्ता/-

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(2)

क्रमांक 3514 /वि.स./स्था./2026 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.03 /2026

प्रतिलिपिः-

1. माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
3. सचिव, छ.ग. विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ आफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/शाखा प्रभारी की ओर निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्न कर पालनार्थ।
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर पालनार्थ।
6. सर्वर कक्ष।

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूत्तरदायित्व भत्ते की गणना हेतु सत्रावधि के दौरान दैनिक उपस्थिति एवं कार्य निष्पादन की पुष्टि का प्रतिवेदन

शाखा का नाम : ____________________

दिनाँक : ____________________

क्र.	अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अनुमति प्राप्ति उपरांत प्रस्थान/बिना अनुमति प्रस्थान	रिमार्क
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

शाखा प्रभारी
हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी
हस्ताक्षर

वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी
हस्ताक्षर